

11-12-19

पश्चात्तल्लि पत्र / वकील वकील उपस्थित की
विधान अधिवक्ता वकील की हुकम गमा (वकील
की अधिवक्ता) का हुकम है, कि जिले द्वारा
इशवागिम) जबाब प्रस्तुत किया गया है
वादागत इति म साल १५, सेवा १५, वकील
१५ तथा जिले हि. १५ दर्त लेख (जिले
ने. ३ कपना हिस्सा १५ जिलेवादी नम्बर
५ की वचना का उका है जिलेवादी नं. ५
की विधान नोट अधिलेखनी चला है
अला तावा स्वीकार किया नार्क

हमने ध्यानपूर्वक जावनी का अन्वेषण
किया। सत्य म वकील द्वारा स्वयं के रूप
पत्र के अधिलेखित प्रदर्श-१ व प्रदर्श २ पेश
किये गये हैं

हमने प्रदर्श-२ वादागत इति वकील
मात्र मोजा दाकिया खसल नम्बर ७४४
तथा ३-१२ हेक्टर साल, रतान सेवा
बाला पिता घौली के नाम पर बतौर
गैर खालेदारी दर्त है इ. नं. ५३९ रिठ
२०-१-०६ के खालेदारी दर्त नार्क का
आदेश हुका

पश्चात्तान् जिसमें स्वयं जिलेवादी
नं. ३ बाला का हुकम है, कि वह अपनी
चीमारी हिस्सा की इति जिलेवादी नं.
५ की वचना का उका है, जगलकप
उलक १५ हिस्सा पर जिलेवादी नं. ५

11/12/19

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

मिलोचन कुमार का नाम दर्ज हो चुका है
अब वादवादी के लिए उसका हिस्सा नहीं है
भगत वादी का ५५ हिस्सा नाम में

हम रिकार्ड में भी हिस्सा ५५ पर वादी
का नाम दर्ज था, जिस वकील जवाबदारी जिला
समय होइ रिमा गया है ग्राम पंचायत
द्वारा जारी अकाउंट नं. दिनेश २-१२-२०१९
यदि कानूनी है, जिसमें घोषी के पत्रक बताने
गए हैं

अकाउंट नं. गुणामातुल पर हमारे अकाउंट
विचार किया गया

वाद वादी लीकाए किया जाकर
मह आदेश रिमा जाते हैं, कि ग्राम दक्षिण
की अकाउंट नं. ७८८ कक्षा ३-१२ हेक्टर का
वादा अकाउंट के बजाय निम्न अकाउंट दर्ज
किया जावे।

- (१) बतन ५१० घोषी-चमाए हिस्सा ५५
- (२) कालू ५१० घोषी-चमाए हिस्सा ५५
- (३) सेवा ५१० घोषी-चमाए हिस्सा ५५
- (४) मिलोचन कुमार ५१० जैमचंद बलार ५५

रहन एवं बकाया अकाउंट बदलकर
रहनी रिकार्ड में अकाउंट नाम दर्ज हो
तदनुसार ठिकी पत्रा जारी हो

चिपम अकाउंट दिनेश ११-१२-२०१९
की भेट द्वारा लिखवाया जाकर विद्वान
न्यायालय में सुनाया गया।

14/11/19
(चिमनलाल मीणा)
R.A.S.

फाईनल डिकरी व मुकद्दमे

Jud/Civil
Part IV-10

(शॉर्डर 20, रूल 6-7, जास्ता बोवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रामगंजमण्डी

व इजलास चिमनलाल मीठा (R.A.S.)

रतन बगल कालू

बाबा न.मत 88-89 R.T. Act 1955

मुकद्दमा नं. 102 सन् 2019

यह मुकद्दमा आज वाली इतफिसाल कसरी चिमनलाल मीठा (R.A.S.)

वहाजरी श्री डी. अमीर एड. मिनजानिब मुद्दई व श्री K. ज. अमीर एड.

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर, सुनम दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादवादी खीका किया जाका यह आदेश रिज्ज आल व कि ग्राम लकिया की इमि एनं.

788 कवा 3.12.80 का हाल अकन की बजाय निम्न छका उर किया जाका

(1) रतन 510 घावी हिं ५५ (2) कालू 510 घावी हिं ५५, (3) सेवा 510

घावी हिं ५५ (4) मिलेचन कुमाट 510 प्रेमचंद हिं ५५, रहन एवं बकाया

अकन बदलकर रहेगी रिगाड में अमन कामड ही

चीज मुबलिया बाबत

खर्चा इस मुकद्दमे के मय सुद व शरह ✓ फीसदी सालाना आज की तारीख

से तारीख वसूलथावी तक ✓ को अदा करें।

बसवत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के अज तारीख 11 माह 12 2019

को जारी की गई।

मुहर उपखण्ड अधिकारी

रामगंजमण्डी

मुद्दई	रुपया	पं.	मुद्दायलाह	रुपया	पं.
स्टाम्प अर्जीदावा	2		स्टाम्प वकालतनामा	2	
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प मजह सबूत			महनताना बकील पर		
महनताना बकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिशनर		
फीस कमिशनर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान..			मीजान..		

नोट:—इस खर्चे के कामे पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

प. मु. को. -40-2004-1,00,000 प्र.

उपखण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी